तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/3064/2007/अजमेर सरकार बनाम देवा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.2020	**एकल पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित–** श्री एस0एल0 गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 555/2006 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 4–01–2007 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, पीसांगन, अजमेर ने धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पगारा, तहसील पीसांगन की मिसल 1349 फसली जो कि 15.8.1947 से पूर्व का अभिलेख है के खाता संख्या 24 में साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म **नाला** अंकित है। वर्णित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 5 बिस्वा नामांतरकरण संख्या 347 दिनांक 6–6–1985 से अप्रार्थी देवा पुत्र घासी के नाम दर्ज किया गया है और यह भूमि वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के प्रावधानों के विपरीत है। गै0मु0 नदी, नाले, झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में भूमि की किस्म पूर्व अनुसार अंकित करने के निर्देश प्रदान किये है। विद्वान अपर कलक्टर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करने और प्रश्नगत आराजी पर खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त करने और प्रश्नगत भूमि को पुनः पूर्व अनुसार राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय उप अभिभाषक की बहस सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/3064/2007/अजमेर सरकार बनाम देवा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाला दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से अप्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी में अंकित किया गया है। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हमने बहस पर मनन किया एवं विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1349 के अनुसार खाता संख्या 24 में साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म जेर आब **नाला** अंकित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 5 बिस्वा कायम किए गए हैं और नामांतरकरण संख्या 347 दिनांक 6–6–1985 से अप्रार्थी देवा पुत्र घासी के नाम दर्ज किया गया है। गै0मु0 नदी–नाले की भूमि जल प्रयोजन की आराजी में आती है और राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार इस किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/3064/2007/अजमेर सरकार बनाम देवा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नाला जल प्रयोजन की भूमि होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः- *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में अपर कलक्टर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 04-01-2007 से मण्डल को अभिशंषित किया गया हस्तगत रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाता है। प्रश्नगत आराजी नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 5 बिस्वा पर खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त करने तथा प्रश्नगत भूमि को पुनः उसके मूल स्वरुप **"Original shape & use"** किस्म **"गै0मु0 नाला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नियमानुसार नम्बर से कम हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ वापिस भिजवाया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोजकुमार नाग)** **सदस्य**	